[illegible]

मुकदमा संख्या 64/16 तारीख 15.09.16

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक	कार्य मुहकाम	
12.06.17	[illegible]	

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
नादौती (जिला करौली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक	फर्द अहकाम	
	[illegible] रिपोर्ट दिया गया है, रेस्पोन्डेन्ट की नोटिस जारी किया जाकर जवाब मांगा गया। रेस्पोन्डेन्ट ने अपने जवाब में अवगत कराया कि अपीलार्थी के द्वारा कुछ की गई कार्यवाही गलत एवं परिवार पक्ष के भी, राजस्वीय प्रश्न पुराना लंबित है, इसलिए अपील निरस्त किया जाना उचित है। दोनों अधिवक्ता/पक्षकार आपके सामने हाजिर हैं। आज केस बोर्ड - क्रम व्यवहार वाद संख्या अपील बोर्ड पर अपीलार्थी एवं रेस्पोन्डेन्ट उपस्थित आये। अपीलार्थी को सुना गया। अपीलार्थी द्वारा अपने कथन में अपील में उल्लेखित बिन्दुओं को ही दोहराया तथा स्वयं के साक्ष्य कार्ड परिवार की छाया प्रति पेश की। तथा रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जवाब में उल्लेखित बिन्दुओं को ही अपने कथन में दोहराया। उभय पक्षों के अधिवक्ताओं का कथन सुनने एवं प्रपत्रों का अवलोकन करने पर पक्षकार द्वारा निराकरण की प्रार्थना की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील ज्ञापन के अवलोकन से अपील समय सीमा में अन्तर्गत नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी अपील विरुद्ध रेस्पोन्डेन्ट खारिज की जाती है। पक्षकारों पेशकार शुभकरण मान्त्रीजाकर वाद नकलनवीस गोवर्धन से कार्यवाही देखकर की। निर्णय आज सुनाया गया।	